प्रेस विज्ञप्ति

05.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 04.09.2024 को मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के गुरुग्राम स्थित ठिकाने पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सर्वेक्षण किया है।

ईडी ने हरियाणा पुलिस और ईओडब्ल्यू, नई दिल्ली द्वारा मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों/प्रवर्तकों के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं ने संभावित घर खरीदारों को वित्त वर्ष 2006 से वित्त वर्ष 2016 के दौरान गुरुग्राम स्थित अपनी परियोजनाओं में आवासीय इकाइयां खरीदने के लिए प्रेरित किया। ग्राहकों को कई वर्षों के बाद भी कब्जा नहीं दिया गया और यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। आरोप है कि रामप्रस्थ राइज, सिटी, स्काईज और अन्य ने परियोजनाओं के पूरा होने की नियत तिथि के कई साल बीत जाने के बाद भी निधियों का दुरुपयोग किया गया तथा परियोजनाएं पूरी नहीं की गईं।

पीएमएलए, 2002 की धारा 16 के तहत सर्वेक्षण कार्रवाई के दौरान, रामप्रस्थ समूह के मालिक/नियंत्रक/प्रवर्तक, अर्थात् बलवंत सिंह, संदीप यादव और अन्य सर्वेक्षण कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। सर्वेक्षण कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ धन शोधन के अपराध की चल रही जांच में उपयोगी डिजिटल साक्ष्य, खाता बही आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों/अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्यों की सूची बनाई गई और उनके अंश निकाले गए। 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने वाले विभिन्न परियोजनाओं के 1000 से अधिक ग्राहकों की पहचान की गई है, जिन्हें 04-05 साल पहले पूरा/अधिकांश भुगतान करने के बाद भी उनकी बुकिंग नहीं सौंपी गई है।

आगे की जांच जारी है।